आदेश की क्रम सं0 और ता0 | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

1 | 2 | 3

15/12/18

न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, मधेपुरा।

बासगीत पर्चा पुनरीक्षण वाद सं0-17/2015 रामानन्द मेहता बनाम मसो0 पंची देवी

-: आदेश :-

श्री रामानन्द मेहता पे0 श्री हरिहर मेहता, सा0 रसलपुर धुरिया, थाना चौसा, जिला मधेपुरा ने बासगीत पर्चा वाद सं0-09/1992-93 के द्वारा मसोमात पंची देवी पति स्व0 रामभजो सिंह, सा0 रसलपुर धुरिया, थाना चौसा, जिला मधेपुरा के नाम से मौजा रसलपुर धुरिया, थाना नं0-130, खाता- 1524, खेसरा- 3441, रकवा-07 डी0 जमीन का बासगीत पर्चा अंचल अधिकारी, चौसा द्वारा निर्गत कर दिए जाने के खिलाफ बिहार प्रीभिलेज्ड पर्सन्स होमस्टीड टेनेन्सी एक्ट-1947 की धारा-21 के अन्तर्गत बासगीत पर्चा रद्द कराने हेतु पुनरीक्षण आवेदन दिनांक 21-07-2015 को इस न्यायालय में दाखिल किया गया है।

वाद अंगीकरण के विन्दु पर बहस के लिए 08-09-2015 की तिथि निर्धारित की गई। वादी के विज्ञ अधिवक्ता को सुनकर वाद अंगीकृत करते हुए इस न्यायालय के डी0बी0नं0-254, दिनांक 09-09-2015 के द्वारा विपक्षी मसोमात पंची देवी पति स्व0 रामभजो सिंह, सा0-रसलपुर धुरिया धरहरा टोला, थाना चौसा, जिला मधेपुरा के नाम से नोटिस निर्गत किया गया। पुनः डी0बी0नं0-252, दिनांक 09-09-2015 के द्वारा अंचल अधिकारी, चौसा से बासगीत पर्चा वाद सं0-09/92-93 से संबंधित मूल अभिलेख एवं डी0बी0नं0-253, दिनांक 09-09-2015 के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज से स्थल जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। दिनांक 09-10-2015 को प्रतिवादिनी की ओर वकालतनामा के साथ हाजरी दी गई एवं साथ ही पर्चादाली जमीन पर सपरिवार को सुरक्षा प्रदान करने हेतु आवेदन भी दाखिल किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज ने अपने पत्रांक 850-2, दिनांक 20-02-2016 के द्वारा स्थल जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया है। दिनांक 26-08-2016 को सुनवाई के समय वादी का पुकार किया परन्तु अनुपस्थित पाए गए। दिनांक 22-11-2016 को भी उक्त मामले में उभय पक्षों की पुकार की गई, लेकिन दोनों पक्ष अनुपस्थित पाए गए। सुनवाई हेतु अगली तिथि 31-01-2017, 31-03-2017, 23-05-2017, 21-07-2017, 22-08-2017,13-10-2017, 28-11-2017, 12-01-2018, 13-02-2018, 03-04-2018, 19-05-2018, 06-07-2018, 17-08-2018, 18-09-2018, 16-11-2018 एवं 11-12-2018 निर्धारित किया गया। उपरोक्त किसी भी तिथियों में उभय पक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। विज्ञ सरकारी अधिवक्ता ने उभय पक्ष की अनुपस्थिति एवं वाद में रूची नही रखे जाने की वजह से इसे समाप्त करने अनुरोध किया गया।

तदोपरान्त अभिलेख का परिसीलन करने पर पाया गया कि दिनांक 31-01-2017 से लेकर अंतिम सुनवाई दिनांक 11-12-2018 तक वे कभी भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और न ही पक्ष रखा है। इससे स्वतः स्पष्ट होता है कि इन्हें वाद में कोई रूची नहीं रह गई है और न ही यथोचित अनुतोष पाने की इच्छा है। जबकि उन्हें उचित अवसर दिया जा चुका है। विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के कथन से सहमत होते हुए ऐसे वाद को लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। केवल न्यायालय के बहुमूल्य समय की बर्बादी है। अतः उभय पक्ष की लगातार अनुपस्थिति एवं वाद में वादी के द्वारा रूचि नहीं रखे जाने के कारण वाद को खारिज किया जाता है, जबकि उक्त वाद वादी के द्वारा ही लाया गया है। भविष्य में इसे पुनर्जीवित करने पर भी विचार नहीं किया जाएेगा।

उक्त आदेश की प्रति उभय पक्ष को दें तथा एक प्रति मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर प्रकाशित करावें।

15/12

स मा ह र्त्ता,
मधेपुरा।

लेखापित एवं शुद्धिकृत,

15/12

समाहर्त्ता, मधेपुरा।

प्रभारी पदाधिकारी,
विधि, मधेपुरा।
15/12/18

डी0 बी0 नं0 926/विधि, मधेपुरा, दिनांक 22/12/2018

प्रतिलिपिः श्री रामनंद मेहता, पिता हरिहर मेहता, सा0-रसलपुर धुरिया, थाना-चौसा, जिला-मधेपुरा/मसो0 पंची देवी, पति स्व0-रामभजु सिंह, सा0-रसलपुर धुरिया, थाना-चौसा, जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।